

श्री केदारनाथ सिंह, स.वि.स से प्राप्त याचिका

सं.-51/2026 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
सारण जिला के बनियापुर एवं मशरख प्रखंड में बहियारा चँवर से पानी निकासी नहीं हो रहा है, जिससे कि किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण लगभग चार लाख किसानों को भुखमरी का संकट उत्पन्न हो रहा है। जल निकासी हेतु कई बार लिखित रूप से विभागीय स्तर पर जिलाधिकारी, सारण से कई बार अनुरोध किया। परन्तु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः हमलोग याचिका के माध्यम से याचना करते हैं कि उक्त बहियारा चँवर से जल्द से जल्द पानी निकासी करवाने की कृपा की जाए।	वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के मशरख, भगवानपुर हाट एवं बनियापुर प्रखंड अंतर्गत मिर्जापुर बहियारा चौर अवस्थित है। यह चौर बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित आर्द्रभूमियों की सूची में सम्मिलित है। आर्द्रभूमियों के संरक्षण निमित्त सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं, जिसमें जल संरक्षण भी शामिल है। आर्द्रभूमियों के संरक्षण से पर्यावरण एवं जलीय तंत्र संतुलित रहता है तथा आस-पास के क्षेत्रों में जलस्तर बना रहता है।

P.T.O

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0या(गो0)-07-14/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-253 दिनांक-07.04.2026 के प्रसंग में याचिका सं0-51/26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0या(गो0)-07-14/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0या(गो0)-07-14/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0या(गो0)-07-14/2026-

4064

पटना, दिनांक- 10/09/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Shive
10.09.26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

Shive
10.09.26